2016 का विधेयक संख्यांक 318

[दि स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेन्सिस अगेन्स्ट वीमन बिल, 2016 का हिन्दी रूपान्तर]

श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य

का

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय विधेयक, 2016

महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के अपराधों के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय अधिनियम, 2016 है।

(*2*) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत पर है।

(*3*) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य की दशा में राज्य सरकार और अन्य सभी दशाओं में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''विहित'' से इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) ''यौन हिंसा'' से भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 292, 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ, 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 376ङ और 509 में उल्लिखित अपराध अभिप्रेत हैं; और 1860 का 45

(घ) ''विशेष न्यायालय'' से महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के अपराधों के मामलों का अनन्य तौर पर विचारण करने के लिए धारा 3 के अंतर्गत गठित कोई न्यायालय अभिप्रेत है।

विशेष न्यायालयों का गठन।

3. समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रवर्तन के छह माह के भीतर, यौन हिंसा के मामलों का अनन्य तौर पर विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय का गठन करेगी।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन मानदण्ड।

4. विशेष न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए चयन मानदण्ड और ऐसे न्यायाधीशों का कार्यकाल और सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जो समुचित सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे।

विशेष न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या।

5. किसी विशेष न्यायालय में नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की संख्या ऐसी होगी जो उच्च न्यायालय, राज्य सरकार के परामर्श से उस विशेष न्यायालय में यौन हिंसा के लंबित मामलों पर विचार करने के पश्चात् विनिर्दिष्ट करें।

लम्बित मामलों का अंतरण।

6. इस अधिनियम के अंतर्गत किसी विशेष न्यायालय के गठन की तारीख से ठीक पहले किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के समक्ष लम्बित यौन हिंसा के अपराधों से संबंधित प्रत्येक मामला या अन्य कार्यवाही उस तारीख को समुचित अधिकारिता के विशेष न्यायालय में अंतरित हो जाएंगे:

परन्तु यह कि इस धारा में कोई भी बात किसी उच्च न्यायालय के समक्ष उपर्युक्त रूप में लम्बित किसी भी अपील पर लागू नहीं होगी।

विधि के विद्यार्थी विशेष न्यायलयों की सहायता करेंगे।

7. (*1*) समुचित सरकार, विधि के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को विशेष न्यायालयों में इनटर्नशिप करने की अनुमति देने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और अन्य विधि महाविद्यालयों के साथ समन्वय करेगी।

(*2*) विधि के विद्यार्थी, इनटर्न के रूप में, विशेष न्यायालयों में विचारण किए जा रहे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 375, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ और 376ङ के अंतर्गत मामलों से अलग मामलों के निपटान में ऐसी रीति जो विहित की जाए, से सहायता करेगी। 1860 का 45

आरोप-पत्र फाइल करने की समय-सीमा।

8. (*1*) यौन हिंसा के अपराध का आरोप-पत्र तीस दिन से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर फाइल की जाएगी जो समुचित सरकार विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु यह कि आरोप-पत्र फाइल करने में विलम्ब की दशा में, अन्वेषण अधिकारी विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसे विलम्ब के कारणों को प्रस्तुत करेगा।

(*2*) जब आरोप-पत्र फाइल करने में विलम्ब अन्वेषण अधिकारी या कतिपय अन्य व्यक्ति के द्वारा उपेक्षा के कारण होता है तो ऐसा अन्वेषण अधिकारी या वह व्यक्ति साधारण कारावास जो छह माह तक बढ़ाया जा सकेगा अथवा जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

विशेष न्यायालय द्वारा मामलों के विनिश्चय के लिए समय-सीमा।

9. विशेष न्यायालय यौन हिंसा के मामले का विनिश्चय आरोप-पत्र फाइल करने की तारीख से एक सौ बीस दिनों से अनधिक ऐसी अवधि, जो समुचित सरकार विनिर्दिष्ट करे, के भीतर करेगी।

उच्च न्यायालय में अपील।

10. विशेष न्यायालय के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी व्यक्ति आदेश की तारीख से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय, यदि संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त, कारण द्वारा रोका गया था तो वह साठ दिनों से अनधिक अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने की अनुमति दे सकेगा।

11. समुचित सरकार, महिलाओं में छेड़खानी और यौन हिंसा के विरुद्ध विधिक सुरक्षा और इन अपराधों से संबंधित विधिक उपबंधों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय करेगी जो विहित किए जाएं। बढ़ती जागरूकता।

12. केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराएगी। केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त निधि प्रदान करना।

13. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या इस अधिनियम से अलग अन्य किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में अंतर्विष्ट इसके असंगत किसी भी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

14. इस अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम से संबंधित किसी विषय को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में। अधिनियम का अन्य विधियों के अल्पीकरण में नहीं होना।

15. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किन्तु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मधेश्वरधारी सिंह और एएनआर बनाम बिहार राज्य 1986 में, उच्चतम न्यायालय ने शीघ्र विचारण के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में अधिनिर्णीत किया। परन्तु सिविल और आपराधिक मामलों के निपटान में न्यायालयों द्वारा अधिक प्रगति नहीं हुई है। वर्ष 2014 तक उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मामलों की कुल संख्या तीन करोड़ से अधिक थी। इन लम्बित मामलों में से, 9.2 प्रतिशत दस वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं।

मामलों के लम्बित होने के मुख्य कारण न्यायाधीशों की अपर्याप्त संख्या, भौतिक अवसंरचना का अभाव और न्यायालयों में भारी संख्या में नए मामलों का फाइल होना है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा संगृहीत आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में, महिलाओं के विरुद्ध 3,37,922 मामले रजिस्टर किए गए। वर्ष 2013 में महिलाओं के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत अपराधों में 9.2% वृद्धि हुई। महिलाओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत कारित अपराध वर्ष 2014 में कुल अपराधों के अनुपात के रूप में बढ़कर 11.4 हो गए हैं।

लम्बित मामलों की विशाल संख्या और पीड़ितों को न्याय देने की प्रक्रिया में विलम्ब अपराधियों को अपराध करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मामलों के निपटान में अत्यधिक समय के कारण अपराध दर को नियंत्रित करने के एक तंत्र के रूप में दण्ड–न्याय प्रणाली निष्प्रभावी हो गई है।

इस समस्या का समाधान करने का एक उपाय महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों से संबंधित विशेष न्यायालयों की स्थापना करना है। वर्ष 2012 के दिल्ली गैंगरेप मामले के पश्चात्, केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने राज्यों को महिलाओं के विरुद्ध ऐसे अपराधों का निपटारा करने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय की स्थापना करने का निदेश दिया। ऐसे प्रयासों के बावजूद, बड़ी संख्या में मामले निरंतर लंबित पड़े हुए हैं।

इस विधेयक का उद्देश्य इन फास्ट ट्रैक न्यायालयों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए इनकी भूमिका और उत्तरदायित्व को परिभाषित करना है। इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय मिलने के उनके अधिकार को प्राप्त करने में समर्थ बनाना है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
10 अक्तूबर, 2016
18 आश्विन, 1938 (शक)

सुप्रिया सुले

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 जिला स्तर पर विशेष न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। खण्ड 5 विशेष न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का उपबंध करता है। खण्ड 7 यह उपबंध करता है कि विधि के विद्यार्थी, इनटर्न के रूप में, विशेष न्यायालयों में कतिपय प्रकार के मामलों के निपटान में सहायता करेंगे। खण्ड 11 यह उपबंध करता है कि समुचित सरकार छेड़खानी और यौन हिंसा से संबंधित विधिक रक्षोपाय और उपबंधों के बारे में महिलाओं में जागरूकता सृजित करने के लिए उपाय करेगी। खण्ड 12 यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त निधि प्रदान करेगी। संघ राज्यक्षेत्रों में विशेष न्यायालयों से संबंधित व्यय भारत की संचित निधि से किया जाएगा और राज्यों में विशेष न्यायालयों से संबंधित व्यय संबंधित राज्यों की संचित निधि से किया जाएगा। अत:, विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से व्यय किया जाएगा। इस पर प्रति वर्ष दो हजार करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

इस पर लगभग पांच सौ करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होने की भी संभावना है।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

इस विधेयक का खण्ड 15 केन्द्रीय सरकार को विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। चूंकि नियम केवल ब्यौरे के मामलों से संबंधित होंगे इसलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा के अपराधों के मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों के विचारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

———

(श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य)

GMGIPMRND—3723LS(S3)—07-12-2016.